

डिक्री व मुकदमें ईवादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 100/2025

1. रमनदीप सिंह पुत्र श्री गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक राधेवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)
2. सुखमन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक राधेवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)

- वादीगण

बनाम्

1. गुरलाल सिंह पुत्र श्रीमती रामरखी उर्फ जसविन्द्र कौर पत्नी श्री हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जसप्रीत कौर पुत्री श्री गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक राधेवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का(पंजाब)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 4 आईडीजी के खाता संख्या 29 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 मे प्रतिवादी संख्या 1 गुरलाल सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण रमनदीप सिंह, सुखमन्द्र सिंह पि. गुरलाल सिंह को बहिब खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....
अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15.4.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया